सरकार ने ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के सभी ग्रेडों के पोली विनाइल क्लोराइड रेजिन व्हाइट फ्री फ्लोविंग पाउडर (पेस्ट, बैटरी अथवा इमल्शन ग्रेड से इतर) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए हैं।

किसी भी निर्यात उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादकों की तुलना में इस उत्पाद की प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

**Anti-Dumping Measures**

1911. SHRI ASHOK MITRA :
SHRI SURESH K^UVtAPI-:

-Will the Minister of COMMERCE be pleased to. state :

(a) What are the details of the antidumping measures implemented by Government during the current fiscal year to discourage unfair entry of foreign products.

(b> the details of antidumping measures adopted during the year against Indian products by foreign) Government: and

(c) whether Government propose to strengthen/antidumping , legislation to protect the industries of the country from the onslaught of import following the conclusion of the GATT Uruguay Round of discussions ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) On 18 January, 1994, anti-djumping duties on import of poly vinyl ohloride resin white free flowing powder of all grades (other than paste, battery or emulsion grade) oreginating from Brazil, Mexico. Republic of Korea and USA have been imposed.

(b) Since April, 1993, USA has imposed anti-dumping duties on imports- of stain less steel wire rods and stainless steel flanges, and Australia has imposed anti-sfianping- duty on Import *of* sodium cynide from India.

(c) Aat dumping action can be taken only if there is dumping which causes injury to domestic industry. The Uruguay Round negotiations have resulted in improved rules governing anti-dumping actions and our law will need to be amended to give effect to the improved rules.

**काफी उत्पादकों द्वारा उत्पादों पर नाम लिखा जाना**

1912. श्री अजीत जोगी :
चौधरी हरि सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य वस्तुओं की तरह काँफी उत्पादकों को अपने उत्पादों पर नाम लिखने की अनुमति देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने काँफी अधिनियम में संशोधन किया है जिसमें प्रत्येक बागान के उत्पादन का अधिकतम 50 प्रतिशत तक कोटा मुक्त बिक्री के लिए आवंटित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत उत्पादक अपने उत्पाद को चाहे तो केन्द्रीय बाजार में बेच सकता है या निर्यात के लिए बेच सकता है या अपने उत्पाद को सीधे विदेशी खरीददारों को निर्यात कर सकता है। लेकिन, उत्पादक अपने उस उत्पाद पर अपने ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसे वे सीधे बेचते हैं।

**International Fairs Organised by ITPO**

1913. SHRI VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the details of International Fairs organised by the India Trade Promotion